दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना

1. प्रस्तावना

1.1 केंद्रीय सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 86 में केंद्रीय सरकार को अधिदेश प्रदान किया गया है कि वह दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि गठित करे (यहाँ इसके पश्चात इसे निधि के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। तद्नुसार सरकार ने दिनांक 10.01.2018 के अपने कार्यालय आदेश द्वारा राष्ट्रीय निधि गठित किया और यह निधि, 18.04.2018 से भारतीय न्यास अधिनियम के तहत न्यास के रूप में कार्य कर रहा है।

1.2 केंद्रीय सरकार ने 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित की है। इस नियमावली का अध्याय X निधि के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित है।

1.3 अगस्त, 1983 में गठित किए गए तत्कालीन राष्ट्रीय दिव्यांगजन निधि के तहत उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए निधि को सृजित किया गया है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए नवंबर, 2006 में न्यास निधि गठित किया गया है। निधि का निवेश आरबीआई में सावधि जमा या बांड के रूप में किया जाता है। इस निधि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग उक्त आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम ,2016 और इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा।

1.4 निधि के शासी निकाय ने 09.01.2018 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, निधि के तहत सहायता दिए जाने वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए, सुश्री डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक उप–समिति का गठन किया। उप–समिति ने सिफारिश की है कि निधि के अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और उसके

अधीन बनाई गई नियमावली की भावना को ध्यान में रखते हुए रखते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों /गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार किया जा सकता हैः –

(i) दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियाँ / कार्यशालाएँ ।

(ii) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उन खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेलों या ललित कला / संगीत / नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। समान प्रतिस्पर्धा के लिए निधि से पीडब्ल्यूडी को सहायता केवल एक बार ही दी जा सकती है।

(iii) राज्यों द्वारा मामला दर मामला आधार पर विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्डों द्वारा यथा अनुशंसित अनुसार उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए सहायता करना।

1.5 शासी निकाय ने 30.07.2018 को आयोजित की गई अपनी बैठक में उप–समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

2.1 उद्देश्य

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रासंगिक कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जो सरकार के बजटीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए निधि के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना है।

3.1 योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक

क. दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियाँ / कार्यशालाएँ ।

- **उद्देश्य** – दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन का वही अर्थ होगा जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत यथा परिभाषित है) द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित

उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तर पर प्रदर्शनी / कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

- **योग्यता** – कोई भी सरकारी संगठन या सोसायटी अधिनियम / कंपनी अधिनियम / ट्रस्ट अधिनियम के तहत कम से कम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए पंजीकृत संगठन जिसके पास उत्पादों / पेंटिंग के विपणन हेतु प्रदर्शनी / कार्यशालाएं आयोजित करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हों।

- **वित्तीय सहायता की सीमा** – वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक शामिल किए जाएंगे : –

  (क) स्थान की व्यवस्था के लिए लागत, अपने उत्पादों / पेंटिंग को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किए गए प्रतिभागी दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए टीए / डीए और परिवहन लागत आदि सहित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापना लागत ।

  (ख) एलसीडी स्क्रीन, प्रकाश, संगीत जैसे अतिरिक्त संभार तन्त्र (लोजिस्टिक) लागत।

  (ग) अनुदान का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप में जारी किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत कार्यक्रम की पूर्णता के बाद तथा उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।

  (घ) राष्ट्रीय स्तर के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रूपए, क्षेत्रीय स्तर (पांच क्षेत्रों नामतः दक्षिणी क्षेत्र (केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तेलंगाना राज्यों को मिलाकर), उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली, जम्मू और कशमीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान राज्यों को मिलाकर), पश्चिमी क्षेत्र (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों को मिलाकर), पूर्वी क्षेत्र (ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखण्ड राज्यों को मिलाकर), पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा राज्यों को मिलाकर) के लिए 15 लाख रूपए और राज्य स्तर के लिए 10 लाख रूपए होगी।

  टिप्पणी : यदि प्रदर्शनी उस क्षेत्र में कम से कम तीन राज्यों के लिए आयोजित की जाती है प्रदर्शनी क्षेत्रीय स्तर की मानी जाएगी।

- **आवेदन कैसे करें :** पात्र संगठन इन दिशा निर्देशों के **अनुबंध I** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ संयुक्त सचिव और निधि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), कमरा संख्या 527, 5वाँ तल, बी III विंग, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 के नाम प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।
- **जाँच, मूल्यांकन और स्वीकृति :** निधि के संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जेएसएंडसीईओ) के अनुमोदन से गठित की गई समिति द्वारा पात्र संगठनों द्वारा जमा कराये गए प्रस्ताव की जाँच और मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार की समिति प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अपनी रिपोर्ट शासी निकाय के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(ख) बैंचमार्क दिव्यांगजनों, जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिएखेलों/ललित–कला/संगीत/नृत्य/चलचित्र/नाटक–कला/साहित्य में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, के लिए सहायता प्रदान करना

- **उद्देश्य :**बैंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित किसी ऐसे व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना :–

(क) जिसने खेल स्पर्धाओं में पदक जीते हैं अथवा कोई ऐसा दिव्यांग कलाकार जिसे राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विगत तीन वर्ष में उत्कृष्ट अथवा होनहार का ग्रेड दिया गया हो।

(ख) जिन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन में संबंधित प्रत्यायित निकायों/प्रमाणित संस्थानों से सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त किए हैं अथवा राष्ट्रीय स्पर्धाओं के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के लिए राज्य स्तर पर खेल स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं।

(ग) 13–21 वर्ष के आयु समूह में बैंचमार्क दिव्यांग युवाओं (महाविद्यालय/ विश्विद्यालय न जाने वाले) की राष्ट्रीय आईटी चुनौती में प्रतिभागिता हेतु, जो कि वैश्विक आई टी चुनौती में उम्मीदवारों की प्रतिभागिता पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मुख्य प्रतियोगिता है। समय–समय पर "वैश्विक आईटी चुनौती" प्रतियोगिता के मानकों के अनुसार आयु वर्ग में बैंचमार्क दिव्यांगयुवाओं की पात्रता केबारे में निर्णय लिया जायेगा।

- **पात्रता–**

(क) कोई भी बैंचमार्क दिव्यांगजन, (40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाला) जिसने खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं अथवा कोई ऐसा दिव्यांग कलाकार जिसेसंस्कृति

मंत्रालय के निर्देशो के अनुसार अथवा विगत तीन वर्षों के दौरान उत्कृष्ट या होनहार का ग्रेड दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतियोगिता (वैश्विक आईटी चुनौती प्रतियोगिता सहित) में भाग लेने के लिए बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्तर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) किसी दिव्यांगजन को एक समान स्पर्धाओं के लिए केवल एक बार (यदि किसी कर्मचारी विशेष को राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निधि के तहत सहायता दी जा चुकी है, तो वह एक जैसी प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा) निधि से सहायता दी जा सकती है।

- **वित्तीय सहायता की सीमा :–**वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :–

(क) दिव्यांग छात्र को एक एस्कॉर्ट सहित (जहां लागू हो) के साथ आने–जाने का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया, (सबसे छोटा मार्ग से) यदि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अकेले यात्रा करने में असमर्थ है तथा बोर्डिंग लोजिंग (भोजन आवास) के लिए 2500/–रूपए प्रति व्यक्ति की राशि।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मामले में आने–जाने का इकोनोमी (किफायती) हवाई किराया (सबसे छोटा मार्ग से) तथा प्रतियोगिता की पूरी अवधि के लिए 4000/–रूपए प्रतिदिन की राशि।

- **आवेदन कैसे करें:–** बैंचमार्क दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति, इन दिशा–निर्देशों के **अनुबंध–II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। जो निधि के संयुक्त सचिव एवं सीईओ, कमरा संख्या 527, 5वां तल, बी–III विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 को संबोधित हो।

- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं:–

  (क) दिव्यांगता के वैध स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति

  (ख) आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या (यदि आधार कार्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है)।

(ग) राज्य/राश्ट्रीय स्तर पर जीते गए पदकों के प्रमाण पत्र अथवा ललित कला/चित्रकला/संगीत के क्षेत्र की उपलब्धियां दर्शाने वाले प्रमाणपत्र।
(घ) राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजकों से प्राप्त आमंत्रण।

- **जांच मूल्यांकन तथा स्वीकृति :–** पात्र संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच एवं मूल्यांकन निधि के संयुक्त सचिव एवं सीईओ के अनुमोदन से यथा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसी समिति प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए शासी निकाय के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) मामला दर मामला आधार पर राज्यों की विशिष्ट सिफारिशों पर मूल्यांकन बोर्डों द्वारा यथा सिफारिश अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए सहायता।

- **उद्देश्य –** मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथा सिफारिश अनुसार उनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च सहायता वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों की सहायता हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- **पात्रता –** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बैंचमार्क दिव्यांगजन जिन्होंने राज्यों से संपर्क किया है तथा राज्य उन्हें अपनी निधियों से ऐसी सहायता प्रदान नहीं कर सकते है और उन्होंने निधि के अधीन विचार करने की सिफारिश की है।

  दिव्यांगजनों की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपए अथवा शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **वित्तीय सहायता की सीमा –** वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः–
  (क) वित्तीय सहायता सीमित हैः
    - दैनिक जीवन निर्वाह कार्यकलाप में सुधार के लिए विशेष रूप से निर्मित गतिशीलता (मोबिलिटी) यंत्र की वास्तविक लागत अथवा 1 लाख रूपए जो भी कम हो।
- **आवेदन कैसे करें:–** उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बैंचमार्क दिव्यांग पात्र व्यक्ति, जिनका मूल्यांकन राज्य मूल्यांकन बोर्डों द्वारा किया गया हो, इन दिशा निदेशों के **अनुबंध–III** पर प्रस्तुत प्रपत्र में निधि के संयुक्त सचिव एवं सीईओ, कमरा संख्या 527, 5वां तल, बी–III विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैंः–

  (क) दिव्यांगता के वैध स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति
  (ख) आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या (यदि आधार कार्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है)।
  (ग) मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों की प्रति।
  (घ) राज्य सरकार का प्रमाण पत्र यह बताते हुए कि आरंभ में प्रस्ताव उन्हें प्रस्तुत किया गया था तथा राज्यों द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर पाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त राज्य की सिफारिश की प्रति जिसमें सहायता की अपेक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

- **जांच मूल्यांकन तथा स्वीकृति :–** पात्र संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच एवं मूल्यांकन निधि के संयुक्त सचिव एवं सीईओ अनुमोदन से यथा गठित समिति द्वारा की जाएगी। ऐसी समिति प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए शासी निकाय के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

****

1. संगठन विवरण :_____
2. क्या सोसाइटी अधिनियम/कंपनी अधिनियम/न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं:

   _____
3. पंजीकरण संख्या : _____
4. वित्तीय सहायता मांगने का उद्देश्य :
   (i) दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सहित अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन
   (ii) पेंटिंग दर्शाते हुए प्रदर्शनी का आयोजन
5. संपर्क विवरण : _____
6. प्रदर्शनी आदि के क्षेत्र में संगठन का अनुभवः

   _____

   _____

   _____

   _____
7. प्रदर्शनी का स्थान तारीख और अवधि : _____
8. प्रतिभागी दिव्यांगजनों की संख्या : _____
9. दर्शाये जाने वाले उत्पादों के प्रकार/संख्या : _____
10. शामिल मार्केटिंग/व्यापार एसोसिएशन (संघ) : _____
11. क्या संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित समारोह को मंजूरी दी गई है :

    _____
12. क्या प्रतिभागियों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई हैः

    _____
13. क्या ये सुविधाएं सुगम्य है या नहीं : _____

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–

(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र
(ii) संगठन के अनुभव दर्शाने वाले सहायक प्रमाण पत्र
(iii) संगठन का संगम ज्ञापन
(iv) पैन (पीएएन)/टैन (टीएएन)/जीएसटी संख्या
(v) व्यापार/मार्केटिंग निकायों के लिए निमंत्रण पत्र

(संगठन का प्राधिकृत हस्ताक्षकर्त्ता)

(संगठन की मोहर)

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता/माता का नाम : _____
3. आवेदक का पता : _____
4. टेलीफोन/मोबाइल/ईमेल आईडी : _____
5. जन्मतिथि : _____ लिंग (जेंडर): _____
6. दिव्यांगता का प्रकार : _____
7. आधार संख्या : _____
8. पासपोर्ट संख्या (अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता के लिए सहायता मांगने वाले मामले में आवश्यक) : _____
9. परिवार की वार्षिक आय : _____
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र का विवरण :–
    (i) पंजीकरण संख्या : _____
    (ii) जारी करने की तारीख : _____
    (iii) जिसके द्वारा जारी किया गया : _____
11. वित्तीय सहायता मांगने का उद्देश्य :

    _____

    _____
12. समारोह की तारीख और अवधि : _____
13. क्या संस्कृति मंत्रालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त/प्रमाणन निकाय के तहत ग्रेड दिया गया है, यदि हां, तो ग्रेड/प्रमाणन करने वाली एजेंसी का उल्लेख करें: _____

    _____
14. खेल गतिविधियों/अन्य क्षेत्रों में जीते गए पदक : _____

    _____

    संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

    (i) दिव्यांगता प्रमाण पत्र
    (ii) आकलन बोर्ड की अनुशंसा
    (iii) आय प्रमाण पत्र
    (iv) पेन (पीएएन) संख्या, अथवा
    (v) आधार/आधार नामांकन पावती
    (vi) खेल गतिविधियों अथवा/अन्य क्षेत्रों में जीते गए पदक या प्रमाण पत्र अथवा ललित कला/प्रदर्शन कला के संबंध में ग्रेडेशन प्रमाण पत्र

(आवेदक के हस्ताक्षर)

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता/माता का नाम : _____
3. आवेदक का पता : _____
4. टेलीफोन/मोबाइल/ईमेल आईडी : _____
5. जन्मतिथि : _____ लिंग (जेंडर) : _____
6. दिव्यांगता का प्रकार : _____
7. आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या : _____
8. परिवार की वार्षिक आय : _____
9. दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरणः–
   (क) पंजीकरण संख्या : _____
   (ख) जारी करने की तारीख : _____
   (ग) जिसके द्वारा जारी किया गया : _____
10. वित्तीय सहायता का उद्देश्य और प्रमात्रा :

    (दैनिक जीवन निर्वाह के कार्यकलाप लिए विशेष रूप से निर्मित गतिशीलता (मोबिलिटी उपकरण) का विवरण – अपेक्षित राशि।

11. आकलन बोर्ड की अनुशंसा : _____
12. राज्य सरकार की अनुशंसा (प्रतिलिपि संलग्न की जाए) : _____
13. संलग्न दस्तावेजों की सूचीः–

    (क) दिव्यांगता प्रमाण पत्र
    (ख) आकलन बोर्ड की अनुशंसा
    (ग) आय प्रमाण पत्र
    (घ) पेन (पीएएन) कार्ड, अथवा
    (ङ) आधार/आधार नामांकन पावती
    (च) अपेक्षित उपकरण/सेवाओं की लागत के संबंध में उद्धरण

(आवेदक के हस्ताक्षर)